



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129497

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या - 7839 वर्ष 2026**

कृष्ण कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राजू कनौजिया, विजय चन्द्र

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 69**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.. की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह ज़मानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 16/2026, धारा 143(5) बीएनएस, थाना-मुगलसराय, ज़िला- चंदौली में मुकदमे के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक पर आरोप है कि वह छह बच्चों को आइसक्रीम फैक्ट्री में काम पर लगाने के लिए ले जा रहा था और इसी आधार पर उस पर मानव तस्करी का आरोप लगाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के खिलाफ आरोपपत्र दायर की जा चुकी है। हालाँकि, विवेचना के दौरान, न तो उन नाबालिग बच्चों के बयान दर्ज किए गए जिनकी तस्करी का आरोप आवेदक पर है, और न ही उनके माता-पिता/अभिभावकों के बयान दर्ज किए गए। आगे यह भी कहा गया है कि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि आवेदक मानव तस्करी या बाल श्रम में शामिल था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. विद्वान ए.जी.ए.. ने ज़मानत की मांग का विरोध किया और तर्क दिया कि पुलिस ने 'ऑपरेशन आहट' की प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीमती चंदा गुप्ता का बयान दर्ज किया है, जिनकी भूमिका नाबालिग बच्चों को बचाने में अहम थी। उनके बयान के अनुसार, बच्चों की तस्करी की जा रही थी और उन्हें आइसक्रीम फैक्ट्री में काम के लिए गुजरात ले जाया जा रहा था। हालाँकि, विद्वान ए.जी.ए.. इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत नाबालिग बच्चों और उनके माता-पिता/अभिभावकों के बयान आज तक दर्ज नहीं किए गए हैं, और न ही उन्हें आरोप पत्र में गवाह के तौर पर दिखाया गया है। हालाँकि, यह कहा गया है कि आवेदक के पास से रेलवे टिकट बरामद हुए थे, जिनसे पता चलता है कि आवेदक नाबालिग बच्चों को साथ ले जा रहा था और उन्हें काम के लिए गुजरात ले जा रहा था, जिससे प्रथम दृष्टया कथित अपराध में उसकी संलिप्तता का संकेत मिलता है।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. बताया गया है कि आवेदक 13.01.2026 से जेल में है। आरोप पत्र भी दाखिल की जा चुकी है। आरोप पत्र को देखने से पता चलता है कि जिन नाबालिग बच्चों की तस्करी का आरोप है, उनमें से किसी को भी अभियोजन पक्ष का गवाह नहीं बनाया गया है। बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत उनके बयान भी दर्ज नहीं किए गए हैं। कथित पीड़ितों के बयान दर्ज न कर पाना पुलिस की विवेचना में एक बड़ी चूक है और इससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर होता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आवेदक की हिरासत की अवधि और उसके आपराधिक इतिहास न होने को ध्यान में रखते हुए, जमानत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

8. जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है।

9. उक्त अपराध में शामिल आवेदक - **कृष्ण कुमार** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि का दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
10. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो परीक्षण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई कर सकता है।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर-जनरेटेड प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
12. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि परीक्षण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।
13. ऊपर की गई टिप्पणियां केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

29 जून 2026

कुशल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।